आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
(भारतीय रिज़र्व बैंक पुस्तकालय)

निविदा दस्तावेज़

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400001 में स्थित है(जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा), द्वारा ऐसी पंजीकृत एजेंसियों(जिन्हें इसके बाद 'सेवाप्रदाता' कहा जाएगा) से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है जो सुस्थापित हैं और पुराने पुस्तकालय के दस्तावेजों के **अनुरक्षण एवं संरक्षण** एवं धूम्रीकरण, गैर-अमलीकरण, दुर्लभ संग्रह पुरालेखीय जिल्दसाज़ी से संबंधित कार्यों में अनुभव रखती हैं।

ऐसे सेवाप्रदाता जो उपर्युक्त निविदा के लिए बोली लगाना चाहते हैं वे अपनी मुहरबंद निविदाएं इस निविदा दस्तावेज़ के अनुसार प्रस्तुत करें। निविदा दस्तावेज़ www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है या इस संबंध में लिखित अनुरोध करके व्यक्तिगत रूप से महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, डीईपीआर, केंद्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज़, किसी भी परिस्थिति में चाहे जैसी हों, डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से जारी नहीं किए जाएंगे।

निविदा, अनुबंध में दिए गए फार्मेट के अनुसार भलीभांति से भरी हुई होनी चाहिए और मुहरबंद लिफाफे में हस्त सुपुर्दगी/डाक/कूरियर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जिसपर पता महाप्रबंधक, प्रशासन प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 लिखा हो और जो दिनांक **19/10/2018** को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले इस पते पर पहुंच जाए। तकनीकी बोली दिनांक **19/10/2018** अपराह्न 4.00 बजे खोली जाएगी। कमर्शियल बोली खोलने की तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी। बोलियों को दो लिफाफे में भेजा जाए जिनपर साफ अक्षरों में **"दुर्लभ दस्तावेज के अनुरक्षण एवं संरक्षण हेतु निविदा - तकनीकी बोली"** तथा **"दुर्लभ दस्तावेज के अनुरक्षण एवं संरक्षण हेतु निविदा - कमर्शियल बोली "** लिखा होना चाहिए।

भाग ए : बोली हेतु निमंत्रण

उद्देश्य :

कागज के रूप में उपलब्ध अभिलेखों के उद्धार हेतु दुर्लभ और पुरालेखीय दस्तावेजों के अनुरक्षण एवं संरक्षण का कार्य करना। लगभग 20,000 फोलियो (दोनों तरफ) के दस्तावेज अभिरक्षित किए जाने हैं।

पात्रता मानदंड:

सेवाप्रदाता के पास पुराने और मूल्यवान दस्तावेज़ों के अभिरक्षण एवं संरक्षण का अनुभव होना चाहिए। सेवाप्रदाता को अपने प्रस्ताव में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकी, तकनीक, योजना तथा प्रोग्रामिंग रणनीति आदि का उल्लेख करना होगा जैसाकि कार्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कार्य में प्रगति करने हेतु तथा निर्धारित गुणवत्ता मानक का पालन करने हेतु अपेक्षित हैं। सेवाप्रदाता को प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा जारी इस प्रकार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किए जाने से संबंधित कम से कम दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सेवाप्रदाता को अपने संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तकनीकी विशेषज्ञता के ब्योरे देने होंगे।

भाग बी: पृष्ठभूमि और कार्य का स्वरूप

केंद्रीय पुस्तकालय एक विशेष पुस्तकालय है जो अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त आदि विषयों से संबंधित पुस्तकों के लिए समर्पित है: इसके संग्रह में अनेक दुर्लभ एवं पुरालेखीय दस्तावेज़ हैं।

संग्रह :

पुरालेखीय अभिलेख मुद्रित पुस्तकों एवं जिलदबंधे ग्रंथों के रूप में हैं और हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां नहीं हैं।

1. **आकार:** ए3, ए4, ए4 से कम साइज़
2. **कार्य का स्वरूप :**

लगभग 20,000 फोलियो (दोनों तरफ) हैं जिन्हें साइंटिफिक तरीके से अभिरक्षित किया जाना है। संरक्षण के लिए मानक मानदंड जैसे टिशू पेपर, लेई और अभिलेखीय जिल्दसाज़ी का पालन करना होगा। इस संबंध में निम्नलिखित विनिर्देशों की आवश्यकता होगी:

i. अभिलेखों का प्रबंधन

अभिरक्षण के लिए निर्दिष्ट दस्तावेज़ पुराने, नाज़ुक, भुरभुरे तथा भंगुर हैं जिनका प्रबंधन अत्यधिक कुशलता तकनीक के साथ करना होगा। उनकी जिल्द हटाते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। उनपर जमी धूल को हटाने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करना होगा।

ii. दस्तावेज में दी गई शर्तों के अनुसार छोटी-मोटी मरम्मत भी करनी पड़ेगी।

iii. दस्तावेज से सभी प्रकार के दुश्मनों जैसे लोहे की पिन, सूई, सेलो तथा भूरे रंग के टेप को हटाना होगा।

iv. दस्तावेज पर लगे समस्त धब्बों को हटाना होगा।

v. साइंटिफिक रिपेरिंग करने से पूर्व दस्तावेज के हिसाब से उसका गैर-अमलीकरण करना होगा तथा स्याही को स्थिर बनाना होगा।

vi. दुर्लभ दस्तावेज के अनुरक्षण एवं संरक्षण हेतु साइंटिफिक रिपेरिंग

- साइंटिफिक रिपेरिंग के तकनीकी विनिर्देशन इस प्रकार हैं:

टिशू पेपर :

ए. 8-9 जीएसएम

बी. स्तर लगाने के बाद पार्दर्शी हो

सी. बफर हो

डी. किनारे अच्छी तरह तराशे हुए हों

ई. चारों किनारों पर कवच(गार्डिंग) लगे हों।

एफ. गार्डिंग के लिए लगाए जाने वाले कागज़ अमलरहित हों, हाथ से बने हों तथा 75-80 जीएसएम के हों।

लेई:

ए. ग्लूटेनरहित अथवा सीएमसी पेस्ट

बी. स्तर लगाने के बाद लचीलापन समाप्त न हो

सी. उसमें से रंग न छूटे

डी. संरक्षण मानदंडों के अनुसार उसमें फफूंदनाशी मिला होना चाहिए

जिल्दसाज़ी :

ए. स्पष्ट रूप से अच्छी तरह खोला हुआ अर्थात् अभिलेखीय जिल्दसाज़ी

बी. जिल्दसाज़ी के बाद प्रत्येक किनारे एक जैसे तथा प्लेन हों

सी. जिल्दसाज़ी के लिए अमल रहित गोंद का इस्तेमाल

डी. छोर पर अच्छी गुणवत्ता के कागज़ दोनों छोर पर सिले गए हों।

ई. जिल्दसाज़ी के लिए अच्छी गुणवत्ता का मोटा न टूटने वाला अमल रहित धागा

एफ. अभिलेखीय गुणवत्ता वाले अमल रहित जिल्दसाज़ी बोर्ड

जी. आधा चमड़े की जिल्दसाज़ी, रेक्जीन सहित

एच. कागज के छोर पर जिल्द के कपड़े लगाए जाएंगे

आई. वज़नदार पुस्तकों के लिए स्पाइन को चूलिंग घुमाव के साथ गोलाकार बनाया गया हो

जे. पुस्तक के शीर्षक एवं लेखक के लिए स्पाइन पर सुनहरे रंग से उभारदार स्पष्ट छपाई

(टिप्पणी: केंद्रीय पुस्तकालय में नमूना प्रति उपलब्ध है।)

भाग सी: निबंधन और शर्तें

सेवाप्रदाता को सूचित किया जाता है कि वह निविदा दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बोली प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि निविदा दस्तावेज के समस्त अनुदेशों, शर्तों तथा अपेक्षित विनिर्देशनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने एवं जांच कर लेने तथा अच्छी तरह समझ लेने एवं उसके निहितार्थ जान लेने के बाद प्रस्तुत किया गया है। निविदा दस्तावेज़ में मांगी गई समस्त जानकारी प्रस्तुत न करने की स्थिति में बोली को निरस्त किया जा सकता है।

- प्रोफार्मा को अच्छी तरह अंग्रेजी में टाइप किया हुआ या हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन, यदि कोई किया गया हो, उस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयुक्त रूप से प्रमाणित किया गया हो जिसने निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। निविदा में अधिलेखन करने/अधूरा रहने/ खंड कोरा छोड़ देने की स्थिति में उसे बैंक के विवेक पर अवैध माना जाएगा।
- फैक्स, ईमेल अथवा किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- किसी अतिरिक्त अच्छी मूल्यवान सेवा के प्रस्ताव का उल्लेख अलग से किया जाए।
- कार्य के स्वरूप के बारे में किसी प्रकार की पूछताछ का उत्तर ईमेल द्वारा दिया जाएगा ।
- बोली का मूल्यांकन विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयन करते समय इस बात पर जोर दिया जाएगा कि आवेदक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निर्धारित समयावधि पूरा करने की योग्यता रखता हो और सक्षम हो। अत:, इस निविदा सूचना के उत्तर में प्राप्त किसी भी न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही बैंक इसका कोई कारण बताएगा।
- बोलियों के मूल्यांकन करने में और/अथवा संविदा सौंपे जाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- बैंक को निविदा की किसी भी शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
- बैंक किसी बोलीकर्ता से मुलाकात और चर्चा नहीं करेगा तथा/अथवा किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा बैंक के किसी भी अधिकारी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सौदेबाजी करना, किसी भी प्रकार से निविदा को स्वीकार करने के लिए प्रभावित करने की स्थिति में उसके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा आदेश दिए जाने की तारीख से 10 दिन के भीतर कार्य प्रारंभ करना होगा।

- जिस एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा वह किसी अन्य को कार्य नहीं सौंपेगी, अंतरित नहीं करेगी, गिरवी या उप-संविदा नहीं करेगी।

1. **संविदा की शर्तें:** सेवा प्रदाता, संविदा सौंपे जाने पर करार पर हस्ताक्षर करेगा।
    - सेवा प्रदाता दस्तवेजों के अभिरक्षण एवं संरक्षण का कार्य बैंक परिसर में ही करेगा। कार्य करने के लिए स्थान एवं बिजली की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी। अत:, सेवाप्रदाता को उपकरण, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था अपेक्षानुसार स्वयं करनी होगी।
    - सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अभिलेखीय सामग्री बैंक को सौंपी जाएगी तथा कोई भी दस्तावेज़ कापी नहीं किया जाएगा/किसी अन्य हार्ड डिस्क या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक प्रणाली/डिवाइस पर सेव नहीं किया जाएगा।
    - यह परियोजना प्रारंभ होने की तारीख से **5 महीने** के भीतर पूरी करनी ही होगी।
    - सेवा प्रदाता को व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ऊपर के खर्चे जैसे अपने कार्मिकों से संबंधित यात्रा व्यय, विराम आदि स्वयं वहन करने होंगे तथा प्रशिक्षण अपनी लागत पर प्रदान करना होगा।
    - परियोजना के संबंध में किसी भी समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में सेवा प्रदाता उसका निदान शिकायत दर्ज कराने के दो दिन के भीतर करेगा।
    - बैंक द्वारा कार्य-संपन्न प्रमाणपत्र जारी करने पर ही कार्य पूरा हुआ माना जाएगा जो बैंक की संतुष्टि के अधीन होगा।
    - सेवा प्रदाता बैंक की संतुष्टि के अनुसार कार्य समाप्त होने के बाद भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करेगा।
    - उद्धृत मूल्य भारतीय रुपए में होगा, एकसमान रहेगा तथा मूल्य में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होगा और जीएसटी को छोड़कर ।
    - आयकर अधिनियम की धारा 194सी के प्रावधानों के अंतर्गत यह बैंक के लिए अनिवार्य है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा संविदा के अधीन बैंक को दी गई सेवा के लिए अदा की जाने वाली राशि में से लागू दर पर कर की कटौती करेगा। बैंक, राशि अदा करते समय किसी अन्य प्रकार के कर की भी कटौती लागू दर पर करेगा। सेवा प्रदाता को कर कटौती प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
    - यदि लागू कर सेवाप्रदाता द्वारा देय न हो तो सर्किल के आयकर कार्यालय से अपेक्षित छूट संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है।
    - चयनित सेवाप्रदाता को कुल संविदा राशि के 10 प्रतिशत राशि की निष्पादन बैंक गारंटी, बैंक के पक्ष में निष्पादित करनी होगी।
    - बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि सेवा प्रदाता ने संविदा के दायित्वों का विधिवत निष्पादन किया है, निष्पादन बैंक गारंटी को उन्मोचित कर सकता है। निष्पादन बैंक गारंटी 6 महीने केलिए वैध होगी। निष्पादन बैंक गारंटी में

दी गई शर्तों के अधीन कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निष्पादन बैंक गारंटी स्वत: कालातीत हो जाएगी।

- सेवा प्रदाता द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं का पालन न कर पाने, अथवा 15 दिन या बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट विस्तारित तिथि तक संविदा निष्पादित न कर पाने की स्थिति में अन्य बातों के साथ, यदि कोई हों, यह पर्याप्त आधार होगा कि निविदा का अधिनिर्णय अमान्य हो जाए।
- समस्त बैंक गारंटी भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की होंगी और अहस्तांतरणीय एवं प्रवर्तनीय होंगी।
- कार्य के संबंध में समय का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। लेकिन, कतिपय अप्रत्याशित परिस्थितियों में अधिकतम एक महीने का विस्तार परियोजना की निरंतरता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

2. ज़मानत राशि:

i. सेवा प्रदाता को 30,000/-रुपए(तीस हज़ार रुपए मात्र) का मांग ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पक्ष में बयाना धनराशि(ईएमडी) के रूप में संलग्न करना होगा। वैध ईएमडी के बिना बोलियों को सीधे-सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

ii. यदि किसी सेवाप्रदाता की निविदा पर आर्डर के लिए विचार नहीं किया जाता है अथवा जिसकी बोली बैंक द्वारा निरस्त कर दी गई है, उसकी ईएमडी संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

iii. उन प्रस्तुतकर्ताओं के बारे में जिनकी बोलियां आर्डर देने के लिए स्वीकार कर ली गई हैं, उनकी ईएमडी को परियोजना की वैधता तक ज़मानत राशि के रूप में रखा जाएगा।

iv. यदि सफल सेवाप्रदाता कार्य को संपूर्ण रूप से निर्धारित अवधि में पूरा नहीं कर पाता है और संविदा में दिए गए अनुसार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है तो ईएमडी की पूरी राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

v. ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. भुगतान की शर्तें:

i. बैंक किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं करता है।

ii. बैंक, कुल राशि को परियोजना के संपन्न हो जाने पर दो किस्तों में 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत राशि सेवाप्रदाता को अदा करेगा। चालीस प्रतिशत

की राशि 10,000 फोलियो (दोनों तरफ) का कार्य पूरा हो जाने एवं बैंक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अदा की जाएगी। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर एवं प्रदेय वस्तु की लेखापरीक्षा कर लेने के बाद किया जाएगा। समस्त भुगतान दिए गए निर्दिष्ट कार्य और उसकी मात्रा के अनुसार सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिए जाने पर जारी किए जाएंगे।

iii. भुगतान में से ऐसी किसी भी राशि की कटौती की जाएगी जिसके लिए सेवाप्रदाता संविदा के कारार के अंतर्गत उत्तरदायी है। इसके अलावा, समस्त भुगतान में से आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी तथा किसी अन्य कर की भी कटौती की जाएगी जो समय-समय पर लागू होगा।

iv. भुगतान, इनवाइस के साथ स्वीकार्यता साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

v. **परिनिर्धारित हर्जाना:** यदि, सेवा प्रदाता निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्वों को निष्पादित करने में असफल रहता है तो, बैंक अपने विवेकानुसार, निम्न में से किसी भी अथवा दोनों पर आधारित निर्णय ले सकता है:

(क) सेवा प्रदाता द्वारा बैंक को परिनिर्धारित हर्जाना देय होगा और जो दंड के स्वरूप में नहीं होगा, यह राशि कुल करार मूल्य के 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होगी और जो करार मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती है। विधि के तहत बैंक के अन्य अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक द्वारा सेवा प्रदाता को देय किसी राशि में से परिनिर्धारित हर्जाना और कोई राशि, उपर्युक्त किए गए उल्लेख के अनुसार, जो बैंक की ओर निकलती है, में से उसकी वसूली करना।

(ख) दायित्वों का उल्लंघन करने की स्थिति में और समुचित समय के भीतर तत्संबंधी उपचारात्मक कार्रवाई न करने पर करार को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में समाप्त करना और निष्पादन गारंटी को तामील में लाना।

- **अप्रत्याशित घटना:**

यदि किसी भी समय, इस संविदा के जारी रहने के दौरान, निष्पादन पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी पक्षकार द्वारा इस संविदा का कोई दायित्व आग लगने, बाढ़ से, हड़ताल होने, तालाबंदी या अन्य किसी घटना से जो नियंत्रण से बाहर हो(इसके बाद जिसे घटना कहा जाएगा) बाधित या विलंबित होता है, बशर्ते

इस प्रकार की घटना घटित होने की सूचना उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत परांकित की गई हो, पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को रियायत पाने केलिए यथाशीघ्र जैसा व्यवहारपूर्ण हो दी गई हो, जो घटना के घटित होने से सात दिन के भीतर या उसके समापन पर दी गई हो, तथा पक्षकार को पर्याप्त रूप से संतुष्ट करती हो कि उसके द्वारा उपाय किए गए थे, तो कोई भी पक्षकार किसी भी कारण से इस संविदा को समाप्त करने का पात्र नहीं होगा, न ही कोई पक्षकार संविदा के अंतर्गत किसी के विरुद्ध प्रत्येक गैर-निष्पादन या निष्पादन एवं डिलीवरी में विलंब के लिए जुर्माने का दावा नहीं करेगा और कार्य इस प्रकार की घटना समाप्त हो जाने या उसके अंत हो जाने के बाद यथाशीघ्र व्यवहार्य रूप से पुन: प्रारंभ हो जाएगा।

- **विवाचन:**

इस करार के संबंध में अथवा इस करार के किसी दायित्व को पूरा करने(चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या इस प्रकार के कार्य के पूरा हो जाने पर अथवा इस करार के समाप्त होने से पूर्व या बाद में इस करार को त्याग देने या उल्लंघन करने पर) के मामले में उत्पन्न समस्त विवाद अथवा किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में, करार के पक्षकार इस प्राकर के विवाद के निपटान का और/ अथवा मतभेद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों पक्षकार इस प्रकार से सौहार्दपूर्ण तरीके निपटान करने में असफल रहते हैं तो कोई भी पक्षकार (क्रेता या वेंडर) इस असफलता के 30 दिन के भीतर अन्य पक्षकार को एक लिखित नोटिस देगा जिसमें विशिष्ट विवाद/विवादों, और/अथवा मतभेद/मतभेदों का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिसके लिए विवाचन की अपेक्षा होगी। इस/इन विवाद/विवादों, और/अथवा मतभेद/मतभेदों को परस्पर सहमति से किसी एक विवाचक को संदर्भित किया जाएगा। किसी एक विवाचक के लिए सहमति न बन पाने की स्थिति में विवाद को संयुक्त विवाचक को संदर्भित किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक विवाचक का नामांकन प्रत्येक पक्षकार द्वारा किया जाएगा और वे विवाचक विवाचन-कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व एक अध्यक्ष विवाचक नामित करेंगे।

विवाचन का स्थान मुंबई, भारत होगा। विवाचन प्रक्रिया का संचालन विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996(समय-समय पर यथासंशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विवाचन एवं उसपर निर्णय के लंबित संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उससे संबद्ध पक्षकार उस कार्य को सभी प्रकार से पूरा करने में हर संभव प्रयास करेंगे।

विवाद की स्थिति में न्यायालय का अधिकारक्षेत्र : पक्षकार मुंबई स्थित न्यायलय के अधिकारक्षेत्र के अधीन होंगे, संविदा से संबंधित या सरोकार रखने वाले सभी मामले और विवाद अन्य सभी अदालतों में ले जाने पर रोक होगी।

डी. निविदा का प्रस्तुतीकरण:

प्रस्तावों को दो मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा जिनपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा होगा **"दुर्लभ दस्तावेज़ों के अभिरक्षण और संरक्षण के लिए निविदा - तकनीकी बोली"** और **"दुर्लभ दस्तावेज़ों के अभिरक्षण और संरक्षण के लिए निविदा - कमर्शियल बोली"**। इस प्रकार से तैयार किए गए लिफाफों पर निविदाकर्ता का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए।

कृपया नोट करें कि तकनीकी बोली में कीमत का **उल्लेख न किया जाए**, यदि उल्लेख किया जाता है तो बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रोफार्मा को या तो टाइप किया जाए या हाथ से साफ अक्षरों में लिखा जाए। यदि निविदा में कोई संशोधन किया जाता है तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। जिन निविदाओं में संशोधन किए गए हैं और उन्हें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है तो उन निविदाओं को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा में अधिलेखन अमान्य माना जाएगा जो बैंक के विवेक पर होगा।

सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. तकनीकी बोली:

i. कवरिंग पत्र
ii. इंडेक्स जिसमें संलग्न किए गए समस्त कागज़ात की पृष्ठ संख्या दी गई हो।
iii. प्रोफार्मा जिसमें मांगी गई समस्त जानकारी हो, और आवश्यकतानुसार स्वत: प्रमाणित फोटोकापियां लगी हों।
iv. कंपनी के पत्रशीर्ष पर निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाणपत्र सेवा प्रदाता विशेष रूप से यह उल्लेख करेगा कि दी गई समस्त निबंधन और शर्तें, परिनिर्धारित हर्जाना सहित बिना किसी शर्त के स्वीकार्य हैं।
v. प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा इस प्रकार का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र
vi. बयाना राशि: ₹ 30,000 (तीस हजार रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पक्ष में देय हो।
vii. तकनीकी योग्यता के मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली के साथ दो पुस्तकों के नमूने हमारे विनिर्देशों के अनुसार (वापसी आधार पर) प्रस्तुत किए जाएं।

केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं की तकनीकी बोलियों पर विचार किया जाएगा जो हर प्रकार से पूर्ण पाई जाएंगी। दिए गए तकनीकी पैरामीटर के आधार पर खोली गई तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनसूची में रखा जाएगा।

2. कमर्शियल बोली:

कमर्शियल बोली केवल उन्हीं सेवाप्रदाताओं की खोली जाएगी जिनके नाम चयनसूची में शामिल किए गए हैं। जो कमर्शियल बोली प्रोफार्मा के अनुरूप नहीं हैं अथवा किसी भी प्रकार से अधूरी हैं, उन्हें तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

i. बोली गई कीमत जीएसटी के अतिरिक्त होगी।

ii. सभी मूल्य, तकनीकी विनिर्देशन तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें परियोजना पूरी होने तक विधिमान्य रहेंगी।

iii. बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य भारतीय रुपए में होंगे, स्थिर होंगे और उनमें किसी भी प्रकार का मूल्य वर्धन नहीं होगा।

बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वे समस्त पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। सेवाप्रदाता का चयन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी योग्यता तथा निर्धारित मात्रा में उसके द्वारा पूर्व में निष्पादित किए गए इसी प्रकार के कार्य के आधार पर ही किया जाएगा।

बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह किसी/समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/निरस्त कर दे और बोलीकर्ता, निविदा मंजूर न किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावे का पात्र नहीं होगा।

<u>निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करने से संबंधित प्रमाणपत्र</u>

<u>(कंपनी के पत्रशीर्ष पर)</u>

पता आदि....

प्रिय महोदय

प्रमाणित किया जाता है कि हमने निविदा दस्तावेज़ में दी गई समस्त निबंधन एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह कि हमारी कंपनी/फर्म अर्थात्----------
----------इसके द्वारा निविदा दस्तावेज़ में दी गई समस्त निबंधन एवं शर्तों को परिनिर्धारित हर्जाना सहित बिना किसी शर्त के स्वीकार करती है।

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

(कंपनी/फर्म का नाम)

कंपनी/फर्म की मुहर

तकनीकी बोली

क्र.सं.	कंपनी का ब्योरा	
*1.	सेवा प्रदाता का नाम पंजीकरण संख्या और पंजीयन की तारीख जीएसटी संख्या (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
2.	पता	
3.	दूरभाषा सं./फैक्स/ईमेल	
4.	संपर्क व्यक्ति	
5.	कितने समय से इस कारोबार में हैं	
* 6.	प्रमुख पुस्तकालयों/संगठनों की सूची जहां इसी प्रकार की परियोजना के लिए पिछले दो वर्ष के दौरान कार्य किया गया है। (पुस्तकें/ फोलिओस की संख्या, कितना समय लगा और परियोजना का मूल्य)	
7.	तकनीकी प्रोफेशनल्स की संख्या	
*8.	कम से कम पुराने दो पुस्तकालयों/संगठनों के संपर्क ब्योरे (सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने से संबंधित प्रमाणपत्र)	
9.	क्या पुस्तक का नमूना हमारे विनिर्देशों धारा **बी** बिन्दु 2(vi) में सूचित किए अनुसार संलग्न किया गया है (वापसी आधार पर)	
10.	इंफ्रास्ट्रक्चर:	
11.	इस परियोजना के बारे में सेवाप्रदाता की परियोजना पद्धति	
12.	क्या सेवाप्रदाता पर कोई क़ानूनी कार्रवाई/विवाचन कार्रवाई की गई है अथवा सेवाप्रदाता ने उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई दावा दर्ज करवाया है, यदि हां, तो उसका ब्योरा दें।	
13.	सेवाप्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के बारे में कोई खास विशेषता/जोड़ी गई अन्य सेवा जिसका सेवाप्रदाता उल्लेख करना चाहता है	

*** कृपया नोट करें कि दस्तावेज़ी साक्ष्य अनिवार्य हैं।**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सत्य हैं।

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

(कंपनी/फर्म का नाम)

कंपनी/फर्म का की मुहर

दुर्लभ दस्तावेज़ों के अभिरक्षण एवं संरक्षण के लिए मूल्यों की बोली

क्र.सं.	**सेवा के ब्योरे**	**दर**		
		ए4 साइज़ से कम	**ए4 साइज़**	**ए3 साइज़**
1	साइंटिफिक अनुरक्षण एवं संरक्षण दर, प्रति फोलियो (दोनों तरफ) जीएसटी को छोड़कर (भारतीय रुपए में)			
2	प्रति पुस्तक अभिलेखीय जिल्दसाज़ी की **दर**			

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

(कंपनी/फर्म का नाम)
कंपनी/फर्म का की मुहर